एलएल.बी.(त्रीवर्षीय)

प्रमुख नियमों की जानकारी होना आवश्यक हैः–

एलएल.बी.(त्रिवर्षीय) के विधि छात्रों के लिए निम्न नियमों की जानकारी का होना अति आवश्यक है। जो निम्नवत् है :–

1. प्रथम सेमेस्टर में विश्वविद्यालय द्वारा जों रोल नम्बर दिया जाता है वह अन्तिम सेमेस्टर तक एक ही रहता है। अतः अपना रोल नं0 कालेज में आने पर हमेशा ध्यान में रखें।
2. कोई भी छात्र यदि प्रथम सेमेस्टर में एक भी पेपर में Exam दिया है तो वह 2nd Semester में promote हो जायेगा।
3. **बैंक पेपर के प्रमुख नियमोंः–**

   (a) बैंकपेपर की जानकारी करने की जिम्मेदारी स्वतः छात्र की खुद की होती हैं। अतः वह समय–समय पर स्वतः जानकारी कालेज सें लेता रहें।

   (b) बैंकपेपर एक सें अधिक पेपर में दे सकते हैं। जिसमें '36' से कम हों अथवा प्राप्तांक '315' से कम हों। जब प्राप्तांक '315' से कम है तो जिस–जिस पेपर में अंक '45' से कम है उसी में बैंकपेपर दे सकते हैं।

   (c) बैंकपेपर फीस Rs.2700 रूपया हैं। (एक पेपर में बैंक या एक से अधिक पेपर में बैंक की फीस एक ही रहेगा।)

   (d) 3rd Semester (त्रिवर्षीय) में उन्हीं छात्रों कों promote किया जायेगा जिनका 1stऔर 2nd Semester में आठ पेपर (Eight Paper) में 45% रहेगा। वहीं छात्र 3rd Semester में promote किये जायेगें। 45%से कम होने पर Not- promote होगा।

C.B.SINGH LAW COLLEGE

(e) 5th Semester (त्रिवर्षीय) में उन्हीं छात्रों कों promote किया जायेगा जिनका 1st और 2nd Semester में सम्पूर्ण पेपर में Pass है तथा 3rd Semester से 4th Semester में 14 प्रश्न पत्रों में 10 प्रश्नपत्रों में न्यूनतम 45% अंक के साथउत्तीर्ण हो।उन्हीं छात्रों को ही Promote होगें।

4. एलएल.बी.(त्रिवर्षीय कोर्स) तीन वर्ष का कोर्स हैं। यदि वह किसी कारण वश ब्रेक (breck) करता है तो अत्यधिक छः(six years) में यह कोर्स अवश्य उत्तीर्ण कर लें।अन्यथा स्वतः निरस्त हो जायेगा। **उदाहरणार्थ** – यदि छात्र 2010–2011 सत्र में प्रवेश लिया है तो 2016 तक अवश्य त्रिवर्षीय कोर्स पूर्ण कर लें । अन्यथा नियमतः कोर्स निरस्त हो जायेगा।
5. **UFM (Un Fair Means)** अर्थात यदि परीक्षा कक्ष में कोई भी छात्र/छात्रा किसी सामग्री नकल में पकड.ा लिया जाता है तों पूरा सेमेस्टर निरस्त होगा अथवा वह पेपर जिसमें वह नकल करते हुए पकङा गया केवल निरस्त होगा। इसलिए कोई भी छात्र/छात्रा परीक्षा कक्ष में नकल न करते हुए पकङ जाय किसी सामग्री के साथ विश्वविद्यालय इस विषय में नियमानुसार निर्णय लेगा।

C.B.SINGH LAW COLLEGE